

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *197

जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

न्यायालयों में पद तथा रिक्तियां

***197 श्री सतनाम सिंह संधू :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के संस्वीकृत तथा रिक्त पदों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा उसके अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या रिक्त पदों के कारण होने वाले न्यायिक विलंबों का पंजाब जैसे राज्यों में आर्थिक एवं दीवानी मामलों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इन रिक्तियों को त्वरित आधार पर भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"न्यायालयों में पद तथा रिक्तियां" के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *197, जिसका उत्तर तारीख 06.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) से (ख) : 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या और रिक्तियां निम्नानुसार हैं :

न्यायालय	स्वीकृत संख्या	रिक्तियां
उच्चतम न्यायालय	38 (भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित)	3
उच्च न्यायालय	1122	341
अधीनस्थ न्यायालय	30,868	7,311

31.07.2026 तक, 85 न्यायाधीशों की संख्या में से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 55 न्यायाधीश काम कर रहे हैं । 30.07.2026 तक पंजाब में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 834 में से 696 न्यायाधीश काम कर रहे हैं ।

(ग) से (घ) : उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है और 28 अक्टूबर, 1998 (तीसरे न्यायाधीश के मामले में) की सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्टूबर, 1993 (द्वितीय न्यायाधीश का मामला) के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है । प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालयों को रिक्ति होने से कम से कम 06 महीने पहले सिफारिशें करना अपेक्षित होता है । तथापि, इस समय-सीमा का पालन कदाचित ही कभी किया जाता है । उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, संबंधित राज्य सरकार के विचार प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं । सिफारिशों पर ऐसी अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी विचार किया जाना चाहिए जो विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार के पास उपलब्ध हो सकती हैं । इसके पश्चात् उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकार और भारत सरकार की सिफारिशों को सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजा जाता है । केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नाम एससीसी द्वारा सिफारिश किए गए हैं ।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में नियम और विनियम बनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर सुल्तान मामले में जनवरी, 2007 में पारित आदेश द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली कतिपय समय-सीमाएं निर्धारित की हैं।

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन यथा अधिदेशित मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन न्याय तक पहुंच बढ़ाने और अधिक पारदर्शिता के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों का सम्मेलन, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनःनिर्धारण और मानव संसाधन विकास पर जोर देना सम्मिलित हैं।
